

प्रेषक,

प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक
बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय
झाँसी।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण विभाग
लखनऊ उत्तर प्रदेश।

संख्या: 150 / 2026-27

दिनांक: 28 अप्रैल 2026

विषय: बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय झाँसी का सत्र 2025-26 का मान्यता पत्र (एफीलियेशन पत्र) प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में निवेदन है कि मेरे महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। नवीन मान्यता पत्र प्राप्त होने में देरी के कारण प्रस्तुत नहीं कर सके। सत्र 2025-26 का मान्यता पत्र (एफीलियेशन पत्र) विश्वविद्यालय से प्राप्त हो गया है। जो संलग्न कर प्रस्तुत है।

अतः उपयुक्त कार्यवाही कर बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय झाँसी के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक— सत्र 2025-26 का मान्यता पत्र (एफीलियेशन पत्र) की छायाप्रति।

भवदीय



(प्रो० राम कृष्ण राठौर)
प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक
बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज
एवं चिकित्सालय, झाँसी

संख्या — / 2026-27

दिनांक: 28 अप्रैल 2026

प्रतिलिपि:— समाज कल्याण अधिकारी झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रो० रामकृष्ण राठौर)
प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक
बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज
एवं चिकित्सालय, झाँसी



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

M vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819



सं० / AULA037 / MGAU / 2024-2025 / 1497,

Ref.....

:- सम्बद्धता आदेश :-

Date: 06/07/25

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AULA037 राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी द्वारा द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन के क्रम में एन0सी0आई0एस0 एम0 नई दिल्ली द्वारा निर्गत विगत 04 वर्षों के मान्यता तथा विश्वविद्यालय निरन्तर प्राप्त सम्बद्धता के आधार पर मा0 कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश के क्रम में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2025-2026 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या (ई0डब्लू0एस0 सहित)
1	बी0 ए0 एम0 एस0	75 सीट (ई.डब्लू.एस. सहित)

सम्बद्धता की शर्तें-

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था द्वारा सत्र 2025-2026 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा सत्र 2025-2026 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा यदि सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा।
- संस्था को एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा।
- एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जयसवाल)
कुलसचिव

संख्या-

/ सं० / AULA025 / MGGAU / 2024-2025

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. परीक्षा नियंत्रक, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी।
9. निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव